राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

केदारमल बनाम हजारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	216/2008	
27/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 10/04/2026 को पेश हो।	
10/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत दावा दुरुस्ती रिकार्ड व ईस्तकरारहक़ का पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 6 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश किया, जिस पर वादी/अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 151 सी.पी.सी. का पेश नही कर सीधे ही उनकी बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पर समायत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27/08/2008 पारित करते हुये प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार कर वादी का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर ईस्तकरारहक़ व दुरुस्ती इन्द्राज के प्रश्नाधीन वाद को ख़ारिज करने में प्रक्रियात्मक व विधिक व तथ्यात्मक त्रुटी कारित की गयी है। जबकी विधि के प्रावधानों के अनुसरण में साक्ष्य-सबूत का तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुये निर्णय पारित किया जाना अधीनस्थ न्यायालय के लिये आवश्यक था। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को साक्ष्य-सबूतों का तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27/08/2008 निरस्त किये जाकर प्रकरण	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

केदारमल बनाम हजारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	216/2508	

अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे बाद सुनवाई पक्षकारान साक्ष्य-सबूतों का तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करते हुये वाद का गुणावगुण पर निस्तारण करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 10/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |